



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244838
CG-DL-E-01042023-244838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1502]
No. 1502]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 08/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 1563(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम का 500 रुपये से आधिक्य में अधित्यजन करती है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 08/2023 – CENTRAL TAX

S.O.1563(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the Act, which is in excess of five hundred rupees for the registered persons who fail to furnish the final return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2023

सं. 09/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 1564(अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 310(अ), तारीख 1 मई, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 1 मई, 2021 तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 516(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जुलाई, 2022 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :--

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक ;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक ;
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक । -

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 09/2023- Central Tax

S.O.1564(E).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021 and No. 13/2022-Central Tax, dated the 5th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 516(E), dated the 5th July, 2022, the Government, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

[F. No. CBIC-20013/1/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director